

Meelab  
25-6-2013

25.6.13

पंजीकृत

संख्या-517/दो-4-2013-53(10)/2010

प्रेषक,  
योगेश्वर राम मिश्र  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

1185

27/3085

74

3/17/13

Reyuntgo

8/13-3-14

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश  
मेरठ।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 मई 2013

विषय:- श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ की माता श्रीमती फैमीदा बेगम की चिकित्सा व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-13866/चार-3085/एडमिन ए-1 सेक दिनांक 30.8.10 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-1209/पाँच-6-2004-294/96 टीसी दिनांक 9.8.04 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) मेरठ की माता श्रीमती फैमीदा बेगम की प्रदेश के भीतर वर्धमान द्रामा एण्ड लेप्रोस्कोपी सेन्टर प्राइवेट लि० मुजफ्फरनगर में दिनांक 01.11.2009 से 12.11.2009 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय के सापेक्ष रू० 1,53,223/- (रू० एक लाख तिरपन हजार दो सौ तेइस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-2491/दो-4-2010-53(110)/2010 दिनांक 29 नवम्बर 2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये प्रदान की गयी थी।

2- निबंधक (बजट), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या - 3634/एडमिन(बी-वी) दिनांक 06 फरवरी 2013 द्वारा शासन को अवगत कराया गया था कि उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-2011 में नहीं हो सका। अतः भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये प्रदान किये जाने का अनुरोध के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च, 2013 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-2013 में कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः निबंधक (बजट), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या - 5477/एडमिन(बी-वी) दिनांक 01 मई, 2013 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित शासनादेश कार्यालय में देर से प्राप्त होने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-2013 में नहीं हो सका। अतः भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत धनराशि रू० 1,53,223/- (रू० एक लाख तिरपन हजार दो सौ तेइस मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिये प्रदान की जाती है। उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश -49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

( योगेश्वर राम मिश्र )  
विशेष सचिव

संख्या-517(1)/दो-4-2013-53(10)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, मेरठ।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्री तैय्यब अहमद, अपर जिला जज (सी.डि.) इलाहाबाद।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( योगेश्वर राम मिश्र )  
विशेष सचिव

DR (m)  
17/6/13

⑥  
JAM  
(w-o-e)

06 JUN 2013

S. Annet J  
14/03/14